



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 1995/माघ 18, 1916

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 1995/MAGHA 18, 1916

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1995

का०प्रा० 86(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ मताहमवां संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “ग्रामीण विकास मंत्रालय” शीर्ष के अन्तर्गत उपशीर्ष “क” के नीचे प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“9. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल निकाम और स्वच्छता। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।”;

(ख) “शहरी विकास मंत्रालय” शीर्ष के नीचे प्रविष्टि 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“27. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल-निकाम तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से अनुबंध। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।”;

(ग) “जल संसाधन मंत्रालय” शीर्ष के नीचे प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबन्ध, जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल योजना और समन्वय का संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य।”।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[फा० सं० 74/2/4/94--पंक्ति०]

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 1995

S. O. 86(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and twenty-seventh Amendment) Rules, 1995.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—
 - (a) under the heading “MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)”, under sub-heading “A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)”, for entry 9, the following entry shall be substituted, namely :—

“9. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and co-ordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International co-operation and technical assistance in this field.” ;

- (b) under the heading “MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)”, for entry 27, the following entry shall be substituted, namely :—

“27. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and co-ordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International co-operation and technical assistance in this field.” ;

- (c) under the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)”, for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—

“1. Development, conservation and management of water as a national resource ; overall national perspective of water planning and co-ordination in relation to diverse uses of water.”.

SHANKER DAYAL SHARMA,
PRESIDENT

[F. No. 74|2|4'94-Cab.]

SANJIV MISRA, Jt. Secy.